

बुक-बन्ध की पूर्ण-सहायकी के
बिना बुक द्वारा भेजे जाने
के बिना अनुमत. अनुमति-पत्र
क. भोपाल-505/अध्य. सी.

संजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. सी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 1983—चक्र 14, शके 1905

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 1983

क्र. 9108-इक्कीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16 मार्च 1983 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज. अ. खरे, विशेष सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९८३.

मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, १९८२.

विषय-सूची.

धाराएं :

पहला अध्याय—प्रारंभिक .

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. इस अधिनियम का कतिपय अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा.
३. परिभाषाएं.

दूसरा अध्याय—सम्पत्ति का निहित होना तथा समिति का गठन.

४. सम्पत्ति का निहित होना.
५. प्रशासन समिति में निहित होगा.
६. समिति का गठन.
७. सदस्यों की पदावधि, उनका त्यागपत्र तथा उनका हटाया जाना.
८. रिक्तियों का भरा जाना.
९. समिति के सम्मेलन.
१०. रिक्त आदि से कार्यवाहियों का अधिविधान्य न होना.
११. समिति के कर्तव्य.
१२. मंदिर की सम्पत्तियों का अन्य संक्रामण.
१३. उच्चार लने की शक्ति.

सैनिक रिपोर्ट.

यों का प्रयायोजन.

तीसरा अध्याय—प्रशासक तथा स्थापना.

क की नियुक्ति.

माधकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.

१८. पुजारियों आदि का नियंत्रण तथा उनकी नियुक्ति.

१९. प्रशासन के आदेश के विरुद्ध अपील.

२०. प्रशासक की आपात शक्तियाँ.

चौथा अध्याय—मन्दिर कोष, बजट, लेखे तथा संपरीक्षा.

२१. मन्दिर कोष.

२२. बजट.

२३. लेखे.

२४. संपरीक्षा.

पाँचवाँ अध्याय—नियंत्रण.

२५. जातकारी तथा लेखे मंगाने तथा निदेश देने की राज्य सरकार या आयुक्त की शक्ति.

२६. निरीक्षण.

छठवाँ अध्याय—मन्दिर की भूमि, उसके भवनों या अन्य सम्पत्ति पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना.

२७. मन्दिर की भूमि या उसके भवनों पर व्यक्तियों द्वारा अप्राधिकृत कब्जा.

२८. तहसीलदार के धारा २७ के अधीन के आदेशों के विरुद्ध अपील.

सातवाँ अध्याय—अंकीय.

२९. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना.

३०. मन्दिर को शोध्य धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा.

३१. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

३२. अधिसूचनाएँ, आदेश आदि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे.

३३. भूमि का अर्जन.

३४. अनुज्ञप्तियाँ मंजूर करने की शक्ति.

३५. अनुज्ञप्तियों को रद्द करने या उन्हें निलम्बित करने की शक्ति.

३६. अपील.

आठवाँ अध्याय—अपराध.

३७. अपराध.

३८. अपराधों का संज्ञान.

३९. अपराधों का प्रशमन.

४०. जुर्मानों की रकम मन्दिर-कोष में जमा की जायगी.

नौवाँ अध्याय—नियम.

४१. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

४२. उपविधियाँ बनाने की समिति की शक्ति.

४३. मन्दिर और उसकी संपत्तियाँ समिति के कब्जे में होगी.

४४. कठिनाई का दूर किया जाना.

४५. निरसन.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९८३.

मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, १९८२.

[दिनांक १६ मार्च १९८३ को राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ४ अप्रैल १९८३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर तथा उसके विन्यासों के अधिक अच्छे अनुरक्षण, परिरक्षण, प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिये और उनसे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

पहला अध्याय—प्रारंभिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, १९८२ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. (१) यह अधिनियम, धार्मिक विन्यास अधिनियम, १९६३ (१९६३ का संख्यांक २०), पूर्त विन्यास अधिनियम, १९६० (१९६० का संख्यांक ६), चेरिटेबल एण्ड रिर्लीजिअस ट्रस्ट्स एक्ट, १९२० (१९२० का संख्यांक १४) या मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) में या किसी प्रबन्ध स्कीम में, या किसी डिक््री, लिखत, रुढ़ि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा.

इस अधिनियम का कतिपय अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा.

(२) मंदिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध से तथा मंदिर के विन्यासों के प्रबन्ध से संबंधित समस्त विधियाँ, विनियम तथा अन्य अधिनियमितियाँ और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उक्त प्रयोजन के लिये निष्पादित किये गये समस्त विलेख तथा उक्त प्रयोजन के लिये किसी पुजारी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किये गये समस्त ठहराव, जहाँ तक कि ऐसी अधिनियमितियाँ, विलेख या ठहराव इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हों, प्रभावहीन हो जायेंगे.

३. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "प्रशासक" से अभिप्रेत है धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया मंदिर का प्रशासक;

(ख) "नियत तारीख" से अभिप्रेत है धारा १ की उपधारा (२) के अधीन नियत की गई तारीख;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है समिति का अध्यक्ष;

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, उज्जैन संभाग;

(ङ) "समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित की गई श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबन्ध समिति;

(च) "न्यायालय" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीश उज्जैन का न्यायालय;

(छ) "विन्यास" से अभिप्रेत है ऐसी समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति जो मंदिर की है या जो मंदिर के अनुरक्षण या सुधार के लिये, या उसमें परिवर्धन के लिये, या उसमें पूजा के लिये, या उसकी संचाल के लिये, या उससे संबंधित कोई सेवा या खेरात की जाने के लिये, अथवा मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की प्रसुविधा, सुविधा या आराम के लिये किसी भी नाम से दी गई है या विन्यस्त की गई है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(एक) मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ;

(दो) मंदिर के परिसर;

(तीन) जंगम या स्थावर सम्पत्ति, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, के समस्त दान और किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न समस्त आय जो किसी भी नाम में अंकित हो और जो मंदिर को अथवा समिति के अधीन के किन्हीं स्थानों को धार्मिक, पवित्र या पूर्त प्रयोजनों के लिये समर्पित हो, अथवा कोई

भी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति जिसका क्रय मंदिर कोष में से किया गया हो तथा समस्त चढ़ावे जिनके अन्तर्गत ऐसी चढ़ावों आती है जो मंदिर के लिये की गई हो और मंदिर के लिये तथा मंदिर की ओर से प्राप्त की गई हो;

- (ज) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है;
- (झ) "मंदिर" से अभिप्रेत है उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर का मंदिर, ऐसी समस्त भूमियाँ जो उज्जैन नगर में संवत् १९८४ में हुए सर्वेक्षण के सर्वेक्षण क्रमांक २११२ में समाविष्ट हैं तथा साथ ही उन भूमियों पर स्थित मंदिर, भवन तथा अन्य संरचनाएँ और अनुसूची में वर्णित समस्त अनुलून तथा अधीनस्थ मंदिर तथा कोई भी ऐसे प्राधिकृत परिवर्धन जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् उनमें किये जायें;
- (ञ) "पंडा" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो तीर्थयात्रियों को पूजा करने या उससे संबंधित किसी अन्य मामले में मार्गदर्शन करने तथा उनकी सहायता करने के लिये प्राधिकृत है;
- (ट) "पुजारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा करने, पूजा-अर्चना करने या उनसे संबंधित श्रद्धा कर्मकाण्ड या सेवाएँ करने के लिये प्राधिकृत है;
- (ठ) "सेवक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो पुजारी को उसके कृत्यों के सम्यक् पालन करने में सहायता करने और विशेषतः महाकालेश्वर देवता के गृह कक्ष को स्वच्छ और भलीभाँति सुरक्षित रखने के लिये प्राधिकृत है।

दूसरा अध्याय—सम्पत्ति का निहित होना तथा समिति का गठन।

सम्पत्ति का निहित होना।

४. किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या किसी रूढ़ि या प्रथा या संविदा, सनद, लिखत, विलेख या वचनबंध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(एक) मंदिर तथा उन समस्त विन्यासों का, जो मंदिर के फायदे के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम से, या तीर्थयात्रियों की सुविधा, आराम या प्रसुविधा के लिये किये गये हैं अथवा इसके पश्चात् किये जायें, स्वामित्व; और

(दो) सगस्त चढ़ावे, जिनमें चढ़ावों भी सम्मिलित है,

श्री महाकालेश्वर देवता में निहित होंगे।

प्रशासन समिति में निहित होगा।

५. (१) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या किसी रूढ़ि या प्रथा या संविदा, सनद, लिखत विलेख या वचनबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मंदिर और उसके विन्यासों का कब्जा, प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबंध श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में निहित होगा।

(२) श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने, तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(३) समिति का मुख्यालय उज्जैन में होगा।

समिति का गठन।

६. (१) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

- (क) उज्जैन जिले का कलक्टर या उस दशा में और उस समय तक जब तक कि कलक्टर उपधारा (३) के अधीन सदस्यता के लिये पात्र न हो, कोई अपर कलक्टर या कोई डिप्टी कलक्टर जो कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ख) दो अधिकारी जो कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (ग) नगरपालिक निगम, उज्जैन का महापौर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक शायद;
- (घ) प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन;
- (ङ) एक पुजारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;

(ब) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रशासकीय व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हिन्दू धर्म तथा उक्त मंदिर में की जाने वाली पूजा के स्वरूप से संबंधित कर्मकाण्डों और रीति का विशेष ज्ञान रखता हो।

(२) कलेक्टर या उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति समिति का अध्यक्ष होगा।

(३) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू धर्म को न मानता हो तथा मंदिर में की जाने वाली पूजा के स्वरूप को स्वीकार न करता हो, समिति की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

(४) सदस्यों का नामनिर्देशन ऐसी रीति में अधिसूचित किया जायगा जैसी कि विहित की जाय।

७. (१) धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए पद धारण करेगा तथा पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

सदस्यों की पदावधि, उसका त्यागपत्र तथा उनका हटाया जाना।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य उसे नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की अपने पद का त्याग करने की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और उस प्राधिकारी द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाने पर वह सदस्य नहीं रह जायगा।

(३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि—

(क) वह विकृत चित्त का है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है; या

(ख) उसने दिव्यलिया न्यायनिर्णय किये जाने हेतु आवेदन किया है अथवा वह अनुमोचित दिव्यलिया है; या

(ग) वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोषी ठहराया जा चुका है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित है; या

(घ) वह मंदिर के प्रशासन के संबंध में भ्रष्टाचार या अव्यवहार का दोषी रहा है; या

(ङ) वह समिति के तीन से अधिक क्रमवर्ती सम्मेलनों में अनुपस्थित रहा है और ऐसी अनुपस्थिति के लिए ऐसा स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है जिससे समिति का समाधान हो जाय; या

(च) समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के पश्चात्, उसने, विधि व्यवसायी होते हुए, किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से समिति के विरुद्ध कार्य किया है या वह किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से समिति के विरुद्ध उपसजित हुआ है; या

(छ) उसने हिन्दू धर्म को मानना बन्द कर दिया है या मंदिर की पूजा में उसका विश्वास नहीं रह गया है; या

(ज) उसने अस्पृश्यता प्रथा को प्रोत्साहन देने या उसे अग्रसर करने में कोई कार्य किया है या ऐसे किसी कार्य के किये जाने का दुष्प्रेरण किया है।

(४) उपधारा (३) के अधीन किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक कि उसे उसके हटाय जाने के विरुद्ध हेतुक दायित्व करने का मुक्तिपुस्तक अवसर न दे दिया गया हो।

(५) कोई सदस्य, जिसे उपधारा (३) के अधीन हटा दिया जाता है, उस तारीख से, जिसकी कि उसे उसके हटाये जाने का आदेश प्राप्त हुआ हो, एक मास के भीतर उस आदेश को अस्तित्व कराने के लिए न्यायालय में वाद-संस्थित करा सकेगा।

(१) समिति में कोई भी रिक्ति उसी रीति में भरी जायगी जैसी कि धारा ६ की उपधारा (१) में उपबंधित है।

रिक्तियों का भरा जाना।

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किये गये किसी सदस्य की पदावधि केवल उतने समय तक के लिए होगी जितने समय तक के लिए वह सदस्य, जिसकी कि स्थान भरा गया है, पद धारण करने का हकदार उस दिनांक में होता जबकि रिक्ति में हुई होती।

(१) समिति, अपने काम काज के संपादन के लिए आवश्यकतानुसार कितनी ही बार किन्तु तीन कलेण्डर मास की कालावधि में कम से कम एक बार सम्मेलन करेगी।

समिति के सम्मेलन

(२) समिति के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(३) समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसी अध्यक्षिता में किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो कि उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुना जाय।

(४) समिति के सम्मेलन में उद्भूत होने वाले प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें कि मत बराबर-बराबर हों, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(५) समिति का सचिव, कार्यवाहियों के कार्यभार, जो प्रशासित अथवा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पन्न रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा, के उचित अभिलेख तथा उसे बराबर रखे के लिये उत्तरदायी होगा और उक्त कार्यभार की एक प्रति आयुक्त को सूचनायें भेजेगा।

(६) राज्य सरकार या आयुक्त समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समिति के कारदार तथा मंदिरों के प्रबंध और उसके कार्यकलाप से संबंधित किसी मामले के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

१०. समिति का कोई भी कार्य या कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण से अवधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणगुण पर प्रभाव न डालने वाली कोई अनियमितता है।

समिति के कार्यभार

११. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, समिति का यह कार्य होगा कि यह—

(१) मंदिर की पूजा, पूजा-अर्चना और दैनिक तथा नियतकालिक कर्मकाण्डों के समुचित सम्पादन के लिए इन्तजाम करे;

(२) भक्तों द्वारा पूजा की जा सके इस हेतु सुविधाएं उपलब्ध करे;

(३) मंदिर में निहित निधियों, मूल्यवान् वस्तुओं तथा ग्रामभूतों को सुरक्षित प्रभारता और मंदिर में निहित संपत्तियों का परिरक्षण तथा प्रबंध सुनिश्चित करे;

(४) मंदिर में व्यवस्था तथा अनुशासन और समुचित शांतिपूर्ण परिस्थिति का बराबर रखा तथा मंदिर में किये जाने वाले वडाओं में सहाई एवं गुंडरा का समुचित स्तर बराबर रखा सुनिश्चित करे;

(५) यह सुनिश्चित करे कि मंदिर के विद्यालयों की निधियां छात्राओं की इच्छाओं, जहां तक कि वे ज्ञात हो सकें, के अनुसार व्यय की जाती हैं;

(६) समस्त ऐसी बातें करे जो मंदिर के कार्यकलापों के दक्षतापूर्ण प्रबंध तथा पूजा करने वाले व्यक्तियों की सुविधा से आनुबंगिक तथा उसमें सहायक हों; और

(७) किसी अन्य धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या पूर्ण क्रियाकलापों का सम्प्रवर्तन करे।

मंदिर की संपत्तियों का अन्य संक्रामण

१२. (१) अनवरत प्रकृति की ऐसी किसी भी जंगम सम्पत्ति को, जो कि समिति के कब्जे में है और जिसका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है, तथा किन्हीं भी ग्रामभूतों को आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना बेचा नहीं जायगा, गिरवी नहीं रखा जायगा या उनका अन्यथा अन्य संक्रामण नहीं किया जायगा।

(२) इस अधिनियम में अधिगृह्यत रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी ऐसी स्थावर सम्पत्ति को जो समिति द्वारा कब्जे में ले ली गई है, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना तीन वर्ष से अधिक के लिये पट्टे पर नहीं दिया जायगा या वह बंधक नहीं रखी जायगी, बेची नहीं जायगी या उसका अन्यथा अन्य संक्रामण नहीं किया जायगा।

उधार लेने की शक्ति पर निर्बंधन

१३. समिति को आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना धन उधार लेने की शक्ति नहीं होगी।

प्रशासनिक रिपोर्टें

१४. समिति आयुक्त तथा राज्य सरकार को मंदिर के कार्यकलापों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्दिष्ट होंगी तथा जो ऐसे समय पर प्रस्तुत की जायगी जैसा कि आयुक्त विनिर्दिष्ट करे।

शक्तियों का प्रस्था-योजन

१५. समिति अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य अपने अध्यक्ष या सचिव को प्रत्यायोजित कर सकती।

तीसरा अध्याय—प्रशासक तथा स्थापना.

16. (1) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो हिन्दू धर्म को मानता हो, मन्दिर का प्रशासक नियुक्त प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी और प्रशासक अपने पद के आधार पर समिति का सचिव होगा :

परन्तु यदि पूर्णकालिक प्रशासक की आवश्यकता न समझी जाय, तो कलक्टर किसी भी ऐसे अधिकारी को, जो तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, मन्दिर का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा.

(2) प्रशासक को मन्दिर की आमदनी में से ऐसे वृत्तन, भत्तों या मानदेय का संदाय किया जायगा जैसा कि आयुक्त अवधारित करे.

(3) समिति मन्दिर के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबंध संबंधी अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रशासक की भाँति करेगी.

17. (1) प्रशासक को छोड़कर मन्दिर के समस्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति समिति द्वारा की जायगी.

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.

(2) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय.

18. (1) वे समस्त पुजारी, पण्डे, सेवक तथा कर्मचारी, जो मन्दिर से संबंध है या जिन्हें मन्दिर से कोई उपलब्धियाँ या परिलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, तथा समस्त अनुज्ञापितधारी प्रशासक के नियंत्रण के अधीन होंगे.

पुजारियों आदि का नियंत्रण तथा उनकी नियुक्ति.

(2) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासक, न्याय भंग, असमर्थता, विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा या उपेक्षा के लिये या कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिये या ऐसा विच्छेद व्यवहार या आचरण करने के लिये, जो कि मन्दिर के अनुशासन या मन्दिर की प्रतिष्ठा का क्षतीकरण करता हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, निम्नलिखित में से कोई भी दण्ड दे सकेगा, अर्थात्:—

(एक) पद से हटाया जाना ;

(दो) उपेक्षा, आदेश के भंग या विच्छेद व्यवहार या आचरण के कारण मन्दिर को कारिंत धन संबंधी किन्हीं हानियों का पूर्णतः या अंशतः उपलब्धियों या परिलब्धियों में से वसूल किया जाना :

परन्तु यथापूर्वाक्त कोई भी दण्ड तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

(3) उस दशा में जबकि किसी पुजारी, पण्डा, सेवक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना कार्य त्याग दिये जाने के कारण या उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने या किसी भी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाती है तो समिति, यदि वह उस रिक्ति को भरना अनावश्यक नहीं समझती है, ऐसे नियमों के, जैसे कि इस संबंध में बनाये जाय, अध्यधीन रहते हुए, उस रिक्ति को भरने के लिये किसी पुजारी, पण्डा, सेवक या ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

19. (1) कोई भी व्यक्ति, जो प्रशासक द्वारा पारित किये गये आदेश से व्यथित हो, उस तारीख से, जिसको धारा 18 के अधीन का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, तीसरे दिन के भीतर समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

प्रशासन के आदेश के विरुद्ध अपील.

(2) समिति, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि वह ठीक समझे और इस प्रकार पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उसे किसी भी विधि न्यायालय में प्रस्तागत नहीं किया जायगा.

(3) प्रशासक द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आदेश, जो कि उपधारा (1) में निदिष्ट किया गया है या समिति, द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई भी आदेश किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उस आदेश से व्यथित हो अपना अधिकार, यदि कोई हो, समक्ष अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में सिद्ध करने से विवजित नहीं करेगा, किन्तु किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं होगी कि वह उक्त आदेश के कार्यान्वयन का ऐसे न्यायालय के सरस को कार्यवाहियों का या उससे या उसके संबंध में उद्भूत होने वाली किसी अपील या आदेश का अतिन्म निपटारा होने तक रोक दें.

प्रासाद की आपात
वर्तमान।

20. प्रशासक, आपात के मामलों में, कोई ऐसा संकर्म निष्पादित किया जाने या कोई ऐसा कार्य किया जाने का निर्देश दे सकेगा जिसके लिये उस वर्ष के बजट में प्रावधान नहीं किया गया है और जिसका उसकी राय में तुरन्त निष्पादित किया जाना या किया जाना मन्दिर की संपत्तियों तथा उसके विन्यासों के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने वाले यात्रियों की सेवा या सुरक्षा के लिये या मन्दिर में धर्मकाण्ड के सम्पन्न होने के लिये आवश्यक है और वह वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा संकर्म निष्पादित किये जाने का या ऐसा कार्य किये जाने का व्यय मन्दिर के कोष में से चुकाया जायगा। प्रशासक इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई तथा उसके कारणों की रिपोर्ट समिति को तुरन्त देगा।

चौथा अध्याय—मन्दिर कोष, बजट लेखे तथा संपरीक्षा।

मन्दिर कोष।

21. (1) एक निधि गठित की जायगी जो मन्दिर कोष कहलायेगी और वह समिति में निहित की जायगी तथा समिति द्वारा उसका प्रशासन किया जायगा और वह (निधि) निम्नलिखित के मिलकर बनेगी:—

(क) मन्दिर की जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों से उत्पन्न आय

(ख) कोई ज़हावां, दान, सदान या भूमिदान; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किये गये समस्त धन।

(2) कोष का उपयोग धारा 11 में प्रमाणित किये गये समिति के धनस्तर या किन्हीं भी धनियों और व्यक्तियों को क्रियान्वित करने में किया जा सकेगा :

परन्तु कोष का उपयोग किसी ऐसे धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या पक्ष क्रियाकलाप के, जो मन्दिर से संबंधित हो संबंध के लिए आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगी।

22. (1) समिति अपने पद को भार ग्रहण करने के तीन मास के भीतर, तथा उसके पूर्वार्ध प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम एक मास पूर्व, उत्तस्वर्ती वर्ष के लिये बजट तैयार करेगी या तैयार करवायेगी तथा उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व उस पर सम्मेलन में विचार करेगी और उसे पारित करेगी।

(2) इस प्रकार पारित किये गये बजट की एक प्रति आयुक्त को अनुमोदन के लिये भेजी जायगी जो कि उसे ऐसे उपान्तरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

23. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छ मास के भीतर पूर्व वृत्ती वर्ष के लिये मन्दिर के प्रशासन के संबंध में प्राप्त तथा व्यय के सही लेख तैयार करेगी।

24. आयुक्त मन्दिर तथा उसके विन्यासों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये प्रति वर्ष एक संपरीक्षा की नियुक्ति करेगा, और उसका पारिश्रमिक नियत करेगा जिसका कि संदाय ऐसे संपरीक्षक को मन्दिर कोष से किया जायगा संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति आयुक्त को भेजेगा जो कि उस पर ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे और समिति ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

पांचवां अध्याय—निरीक्षण।

जानकारी तथा लेख
संग्रह तथा निर्देश
देने की राज्य
सरकार या आयुक्त
की शक्ति।

25. राज्य सरकार या आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह समस्त ऐसी जानकारी तथा लेख मंगवाये जो कि उसकी राय में उसका व्यक्तिगत रूप से यह समझना करने के लिये आवश्यक हो कि मन्दिर कोष के अनुरक्षण समुचित रूप से किया जाता है, उसके विन्यासों का प्रशासन समुचित रूप से किया जाता है तथा उसकी निधियों का धार्मिको के सम्यक् रूप से उन प्रयोजनों के लिये किया जाता है जिनके कि लिये वे स्थापित की गई थी या जिनके कि लिये वे अस्तित्व में हैं, और समिति, उसके ऐसी अध्यक्षता की जाने पर, ऐसी जानकारी तथा लेख यथास्थिति राज्य सरकार या आयुक्त को तत्काल देगी। राज्य सरकार या आयुक्त समिति को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो कि वह उचित समझे और समिति उनका पालन करेगी।

निरीक्षण।

26. (1) राज्य सरकार या आयुक्त किसी अधिकारी को मन्दिर से संबंधित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, अभिलेखों, पत्र व्यवहार, रेखाओं (प्लान्स), लेखाओं तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा। समिति तथा उसके कर्मचारी ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के लिये सुविधाएं देने के लिये बाध्य होंगे।

(2) आयुक्त, यदि वह ऐसा करने की आवश्यक समझता है, और तो वह धारा (1) के अधीन स्थायी निरीक्षण कर सकेगा।

छठवां अध्याय—मंदिर की भूमि, उसके भवनों या अन्य सम्पत्ति पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना.

२७. (१) जहां प्रशासक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर की किसी भूमि मंदिर की भूमि या भवन, या उसके किसी पवित्र तालाब, कुएँ, झरने या जलसरोणी (वाटर कोर्स), चाहे वह मंदिर की प्रसीमाओं के भीतर उसके भवनों पर स्थित हो या उनके बाहर, पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है या उन पर अप्राधिकृत रूप से उसका कब्जा बना हुआ व्यक्ति है, वहाँ प्रशासक उस तथ्य की रिपोर्ट सुसंगत विशिष्टियों के साथ तहसीलदार को करेगा.

(२) तहसीलदार, उसका यह समाधान हो जाने पर कि अधिक्रमण किया गया है, अधिक्रमक पर एक ऐसी सूचना तामील करवा सकेगा जिसमें अधिक्रमण की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जायेंगी और उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह एक निश्चित तारीख के पूर्व इस बात का कारण दर्शा करे कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाय जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व अधिक्रमण हटाने की अपेक्षा की जाय. सूचना की एक प्रति प्रशासक को भी भजी जायेगी.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट की गई सूचना की तामील ऐसी रीति में की जायेगी जैसी कि विहित की जाय.

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर प्राप्त हुई अधिक्रमक की आपत्तियाँ, यदि कोई हों तथा प्राप्त हुए प्रशासक के उत्तर, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, तहसीलदार, उस दशम में जबकि वह यह विनिश्चित करता है कि कोई अधिक्रमण किया गया है, आदेश द्वारा अधिक्रमक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अधिक्रमण को हटा ले और उस भूमि या भवन, जिस पर अधिक्रमण किया गया है, का कब्जा प्रशासक को ऐसी तारीख के पूर्व परिदत्त कर दे जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की गई है.

(५) तहसीलदार का आदेश लिखित में होगा और उसमें वे आधार अन्तर्निहित होंगे जिन पर कि उसने ऐसा आदेश पारित किया है.

२८. (१) कोई भी व्यक्ति, जो तहसीलदार द्वारा धारा २७ के अधीन पारित किए गए आदेश से व्यथित है, तहसीलदार के द्वारा उसे ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को लिखित में अपील कर सकेगा.

(२) ऐसी अपील की जाने पर, उपखण्ड अधिकारी यह आदेश दे सकेगा कि उस मामले में आगे की कार्यवाहियाँ अपील का विनिश्चय होने तक रोक दी जायें.

(३) उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार से मामले के अभिलेख मंगवायेगा और अपीलार्थी तथा प्रशासक को विहित रीति में सूचना देने के पश्चात् और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी अतिरिक्त जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील को विनिश्चित करेगा.

(४) तहसीलदार का विनिश्चय, उपखण्ड अधिकारी के विनिश्चय के अन्तर्गत रहते हुए अंतिम होगा और अधिक्रमण का निश्चायक साक्ष्य होगा.

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात अधिक्रमक को, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में कोई वाद इस आधार पर कि भूमि या भवन पर मंदिर का कोई हक नहीं है, संस्थित करने से निवारित नहीं करेगी.

(५) जहां तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई अपील नहीं की गई है या जहां अपील की गई है और खारिज कर दी गई है, वहाँ प्रशासक अधिक्रमण को हटा सकेगा और उस भूमि या भवन का, जिस पर कि अधिक्रमण किया गया है, कब्जा अभिप्राप्त कर सकेगा. कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसको कि मदद की अपेक्षा इस प्रयोजन के लिए की जाय, प्रशासक को आवश्यक मदद देने के लिए आवद्ध होगा.

सातवां अध्याय—प्रकीर्ण.

२९. (१) मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, १९६१ (क्रमांक ४१ सन् १९६१) के उपबन्ध धारा ४ के अधीन श्री महाकालेश्वर देवता में निहित होने वाली किसी संपत्ति को लागू नहीं होगा.

मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, १९६१ के उपबन्धों का लागू न होना.

३०. इस अधिनियम के अधीन या किसी ऐसे करार, जिसमें कि तदधीन देय किसी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जाने वाली बात उपबन्ध हों, के अधीन मंदिर को शोध्य समस्त धन, प्रशासक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रशासक इस निमित्त प्राधिकृत करे, हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिया जाने पर, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होंगे.

मंदिर को शोध्य धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा.

३१. राज्य सरकार के या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के या समिति के या उसके किसी सदस्य के या प्रशासक के या समिति के अनुदेशों के अधीन कार्य करने वाले या समिति द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जोकि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.

विषयवस्तु की गई हो या जिसका सम्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

३२. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबधित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की किसी अधिकारी या समिति या उसके किसी सदस्य या प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, पारित किया गया कोई आदेश, किया गया कोई विनिर्णय, की गई कोई कार्यवाही अथवा कार्रवाई या की गई कोई बात न्यायालय में प्रश्नगत किए जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा भाँ उसके अधीन प्रदत्त की गई किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यतिरेक नहीं दिया जायेगा।

भूमि का भ्रजन.

३३. जब कोई भूमि या भवन मंदिर, वह भूमि की सीमाओं के भीतर हो या उनके बाहर, मंदिर के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है और समिति उसे करार के द्वारा भ्रजित करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि या भवन को भूमि भ्रजन अधिनियम, १९८४ (१९८४ का संख्या १) के उपबन्धों के अधीन भ्रजित करने हेतु अधिसूचना जारी करेगी और मंदिर के लिए किए गए किसी भूमि या भवन के ऐसे भ्रजन को उस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत लोक प्रयोजन समझा जाएगा। इस अधिनियम के अधीन अधिनिरूचित किये गये प्रतिफल का तथा किन्हीं अन्य ऐसे प्रभारों का, जो कि उस भूमि या भवन के भ्रजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये हैं, समिति द्वारा सदाय कर दिया जाने पर वह भूमि या भवन मंदिर में निहित हो जायेगा और उसके द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए धारण किया जायेगा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

अनुज्ञप्तियों मंजूर करने की शक्ति.

३४. (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो मंदिर के परिसर के भीतर तथा उसके आसपास फूल, प्रसाद, पुस्तकें तथा अन्य साहित्य, चित्र और ऐसी अन्य सामग्री, जो समिति द्वारा अनुमोदित की जाय, बेचने या मंदिर के परिसर के भीतर तथा उसके आसपास साहकिलें, जूते, छाते या अन्य वैयक्तिक चीज वस्तु की देखभाल करने का काम करना चाहता है, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण हेतु आवेदन प्रशासक को ऐसी रीति में तथा ऐसी बालावधि के भीतर करेगा जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय।

(२) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायगी जोकि समिति, विहित सीमाओं के अधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(३) प्रशासक अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसे नवीकृत कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसे नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।

(४) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों के अधीन होंगी।

अनुज्ञप्तियों को रद्द करने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति.

३५. (१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रशासक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा—

(क) यदि अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है; या

(ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या कोई व्यक्ति, जो उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य कर रहा है, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों का भंग करता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया है; या

(घ) यदि अनुज्ञप्ति के धारक को इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का सिद्धोप ठहराया जाता है।

(२) इस धारा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्ति के धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण दशित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

अपील.

३६. (१) प्रशासक के द्वारा ३४ की उपधारा (३) के अधीन के या धारा ३५ की उपधारा (१) के अधीन के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति समिति को अपील कर सकेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील, आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में की जायेगी जोकि उपविधियों द्वारा विहित की जाय।

(३) समिति द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

शाठवां अध्याय—अपराध

अपराध.

३७. जो कोई—

- (क) जिसका कि कर्तव्य मंदिर के कर्मकाण्डों का सम्पादन करना या देवता की पूजा-अर्चना करना है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उक्त कर्तव्यों का अपालन से कर्मकाण्डों का या पूजा-अर्चना का संपादन करने में विलम्ब होगा या जनता या उसके किसी वर्ग को, जो कि मंदिर में पूजा करने का हकदार है, असुविधा होगी या उसका उत्पीड़न होगा, कोई दावा या विवाद उठाएगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहेगा या पालन से इन्कार करेगा और प्रशासक को ऐसे आदेशों की, जिनके कि द्वारा उसे यह निदेश दिया गया है कि वह ऐसे दावे या विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने कर्तव्यों का पालन करे, जानबूझकर अवज्ञा करेगा या उनका पालन नहीं करेगा, वह व्यक्ति या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे आचरण का दुष्प्रेरण करता है; या
- (ख) मंदिर के परिसर के भीतर किसी देवता से संबंधित कोई कर्मकाण्ड या पूजा-अर्चना अप्राधिकृत रूप से करेगा; या
- (ग) किसी पुजारी, पण्डा या सेवक को उसके द्वारा कर्तव्यों का सम्यक् रूप से संपादन करने में बल प्रयोग द्वारा या अन्यथा स्वेच्छा से बाधा पहुंचायेगा; या
- (घ) जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कोई भोग या मंदिर अपवित्र हो जाय;
- (ङ) अप्राधिकृत रूप से किसी थाली या अन्य पात्र को ऐसी रीति में प्रदर्शित करेगा जिससे कोई व्यक्ति उस थाली या अन्य पात्र में कोई चढ़ावा, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, चढ़ाने के लिये युक्तियुक्त रूप से उत्प्रेरित हो जाय या किसी भी अन्य रीति में धन की याचना करेगा; या
- (च) समिति या प्रशासक द्वारा इस बात के लिये प्राधिकृत न होते हुए, मंदिर के परिसर के भीतर व्यक्तियों के गमनागमन में या उससे संबंधित विनियामक उपायों में हस्तक्षेप करेगा; या
- (छ) मंदिर के भीतर के किसी स्थान में बलपूर्वक प्रवेश करेगा जबकि ऐसा प्रवेश किसी विधि या रूढ़ि के अधीन या समिति या प्रशासक द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश के अधीन प्रतिषिद्ध है;
- (ज) मंदिर के परिसर के भीतर कोई वस्तु यह जानते हुये ले जायगा कि मंदिर के परिसर के भीतर ऐसी वस्तु का ले जाना किसी विधि या रूढ़ि के अधीन या किसी ऐसी घोषणा द्वारा प्रतिषिद्ध है जो कि समिति द्वारा प्रचलित रूढ़ि, लोक स्वास्थ्य, नैतिकता या जनता की धार्मिक भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुये विहित रीति में की गई है तथा प्रकाशित की गई है,

दोषसिद्ध ठहराये जाने पर वह, किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, ऐसे कारणों से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

३८. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का संज्ञान प्रशासक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा.

३९. (१) प्रशासक, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि विरुद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो—

- (क) धारा ३७ के खण्ड (घ) के अधीन आने वाले मामलों में, मूल्य की दुगुनी रकम से; और
- (ख) किन्हीं अन्य मामलों में, उस अपराध की बाबत अधिरोपित किये जा सकने वाले जुर्माने की अधिकतम रकम से

अधिक नहीं होगी, उस अपराध के प्रशमन के रूप में प्रतिगृहीत कर सकेगा.

(२) ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाने पर, उस संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायगा तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाहियाँ नहीं की जायगी.

४०. वे समस्त रकमें, जो इस अधिनियम के अधीन के अपराध के लिये दोषसिद्ध पर जुर्मानों के भुगतान या प्रशमन के परिणामस्वरूप वसूल की गई हों, मंदिर-कोष में जमा की जायगी.

जुर्मानों की रकम मंदिर-कोष में जमा की जायगी.

नौवा अध्याय—नियम

नियम बनाने की
राज्य सरकार की
शक्ति

४१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) वह रीति जिसमें समिति के सदस्य का नामनिर्देशन धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचित किया जायेगा;
- (ख) वह रीति जिसमें अधिकामक पर धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना की तामील की जायेगी;
- (ग) वह रीति जिसमें धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन सूचना दी जायेगी;
- (घ) वे सीमायें जिनके कि अन्तर्गत अनुसूचित के लिए फीस धारा ३४ की उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी;
- (ङ) वह रीति जिसमें धारा ३७ के खण्ड (ज) के अधीन घोषणा की जायेगी तथा प्रकाशित की जायेगी;
- (च) वह प्ररूप जिसमें धारा ४३ की उपधारा (२) के अधीन अध्यापिका की जा सकेंगी;
- (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

उपविधियाँ बनाने
की समिति की
शक्ति.

४२. (१) समिति, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, मंदिर तथा उसके विन्यासों के प्रबंध एवं प्रशासन के लिए ऐसी उपविधियाँ बना सकेगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसी अन्य विधि से असंगत न हों.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे —

- (क) समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के बीच कर्तव्यों का विभाजन;
- (ख) वह रीति जिसमें किसी विषय पर विनिश्चय सम्मिलनों में न किया जाकर अन्यथा किया जा सकेगा;
- (ग) समिति के सम्मिलनों में कामकाज की प्रक्रिया और उसका संचालन;
- (घ) समिति के कार्यालय में रखी जाने वाली पुस्तकें तथा लेख;
- (ङ) समिति की निधियों की अभिरक्षा और उनका विनिर्धान;
- (च) समिति के वजंट में सम्मिलित किये जाने वाले या उसमें से अपवर्जित किये जाने वाले व्योरे;
- (छ) समिति के सम्मिलनों का समय और स्थान;
- (ज) वह रीति जिसमें समिति के सम्मिलनों की सूचना दी जायेगी;
- (झ) सम्मिलनों में व्यवस्था बनाये रखना और उनमें कार्यवाहियों का संचालन तथा वे शक्तियाँ जिनका कि प्रयोग अध्यक्ष समिति के विनिश्चय को प्रवर्तित कराने के प्रयोजनों के लिए कर सकेगा;
- (ञ) वह रीति जिसमें समिति के सम्मिलन की कार्यवाहियों की अभिलेखित किया जायेगा;
- (ट) वे व्यक्ति जिनके द्वारा उन धनों के लिए, जो कि समिति को सौंप दिये गये हों, रसीदें दी जा सकेंगी;
- (ठ) मंदिर के भीतर व्यवस्था बनाये रखना और मंदिर में व्यक्तियों के प्रवेश तथा मंदिर में से उनके निकास का विनियमन करना;
- (ड) वह रीति जिसमें पर्वों, मेलों और उत्सवों के दौरान मंदिर में पूजा की जायेगी;
- (ड) मंदिर के पुजारी, पण्डा और सेवक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची शैक्षिक अर्हता, धर्म संबंधी ज्ञान, अचरण, प्रशिक्षण तथा अनुभव एवं तदनुषंगिक अन्य बातों पर विचार करने के पश्चात् तैयार करना;
- (ण) धारा १७ के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तथा उनकी सेवा के निबन्धन एवं शर्तें;

(त) वह रीति जिसमें तथा वह कालावधि जिसके भीतर धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(थ) वह रीति जिसमें धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(द) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उपविधियां बनाई जाना हों या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपविधियां बनाना आवश्यक हो।

(३) समस्त उपविधियां, आयुक्त द्वारा उनको मुद्रित कर दिये जाने के पश्चात्, मंदिर के सूचना फलक पर लगाई जायंगी।

४३. (१) समिति इस बात के लिये हकदार होगी कि वह मंदिर की समस्त जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों, जिनके अन्तर्गत निधियां, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेजों तथा अन्य आस्तियां भी आती हैं, पर कब्जा करे और उन्हें अपने कब्जे में रखे। मंदिर और उसकी सम्पत्तियां समिति के कब्जे में होंगी।

(२) यदि ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने में, समिति या समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा पहुंचाई जाती है, तो वह ऐसे तहसीलदार को, जिसकी कि प्राधिकारिता के भीतर कोई ऐसी सम्पत्ति स्थित है, विहित प्रकृष्ट में एक अध्यादेश इस बात के लिये कर सकेगा कि वह समिति को उसका कब्जा परिदत्त करवाये और ऐसी अध्यादेश प्राप्त होने पर वह तहसीलदार मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिरोध या बाधा बिना किसी न्यायसंगत हेतुक के थी, तो वह उक्त अध्यादेश का अनुपालन करेगा; और इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने में तहसीलदार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(३) समिति के या उसके अनुदेश के अधीन कार्य करने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि उपधारा (२) के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(४) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, (इस धारा के अधीन किये गये) किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा, उक्त सम्पत्ति पर के अपने हक को सिद्ध करने के लिए, किसी वाद के संस्थित किये जाने को वजित नहीं करेगी।

(५) वे समस्त लोक अधिकारी, जिनकी कि अभिरक्षा में मंदिर या उसकी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से सम्बंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज हैं, उनकी ऐसी प्रतियां या उनमें से ऐसे उद्धरण देंगे जैसे कि प्रशासक द्वारा अपेक्षित किये जायें।

४४. (१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किये गये साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत हों। कठिनाई का दूर किया जाना।

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश नियत तारीख से एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जायगा।

४५. नियत तारीख से, मध्यभारत श्री महाकालेश्वर मंदिर विधान, संवत् २००६ (विधान क्रमांक ३ सन् १९५२) निरस्त हो जायगा: निरस्त हो जायगा:

परन्तु ऐसा निरस्त उक्त विधान के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा और उसके अध्याधीन रहते हुए, की गई किसी भी बात या की गई किसी भी कार्रवाई के सम्बंध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम द्वारा या उस अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है मानों कि यह अधिनियम उस तारीख को, जिसकी कि ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा ३ (क) देखिए]

१. श्री श्रींकारेश्वर मंदिर.
२. श्री सभा-मंडप के मंदिर—
 - (१) चन्द्रादित्येश्वर मंदिर.
 - (२) वीरभद्र गजानन.
 - (३) अन्नपूर्णा मूर्ति देवीजी.
 - (४) श्री राम मन्दिर.
 - (५) अवन्तिका देवी.
 - (६) धुवैश्वर महादेव.
३. श्री कोटितीर्थ.
४. श्री कोटेश्वर व रामेश्वर.
५. कोटितीर्थ के आस-पास के श्री महादेव मंदिर.
६. महादेव ८४.
७. इन्देश्वर मंदिर.
८. देवासबालों की धर्मशाला.
९. गौविन्देश्वर महादेव मंदिर.
१०. गणपति मंदिर.
११. किन्ने साहब की धर्मशाला.
१२. सिद्धि विनायक मन्दिर.
१३. खंडादेव मंदिर.
१४. विष्णु मंदिर.
१५. श्री महाकालेश्वर मन्दिर के ऊपर श्रींकारेश्वर चौक के मंदिर—
 - (१) नवग्रह (२) मारुति मन्दिर (३) गणपति मंदिर (४) नीलकण्ठेश्वर मंदिर (५) श्री रामेश्वर (६) गणपति मन्दिर दूसरा (७) महाकालेश्वर मंदिर का प्राचीन शिलालेख (८) विविश्वेश्वर महादेव (९) एकादशरुद्र (१०) सिद्धेश्वर (११) सप्तेश्वर (१२) दास मारुति (१३) साक्षी गोपाल (१४) गणपति मन्दिर तीसरा.
१६. श्री महाकालेश्वर धर्मशाला व उसमें के मंदिर—
 - (१) विट्ठल मन्दिर (२) मंगलेश्वर (३) सिद्धेश्वर (४) गणपति (५) नरसिंह (६) राम मन्दिर.
१७. वृद्धकालेश्वर मन्दिर तथा उसके पार्श्वस्थ मन्दिर—
 - (१) वृद्धकालेश्वर मन्दिर (२) सप्तशृषि (३) अनादि कल्पेश्वर (४) माफी मन्दिर १९ (५) श्रींकारेश्वर (६) गणपति (७) कल्पवृक्ष कामधेनु आदि मूर्तियां महादेव सहित (८) काशी विश्वनाथ (९) महादेव (१०) मनमानकेश्वर महादेव (११) महादेव मन्दिर (१२) हनुमानजी मन्दिर (१३) भरपुरी के गुरु की समाधि (१४) गोवर्द्धन मन्दिर.

विधि और विधायी कार्य विभाग

बी.पी.एल., दिनांक 4 अप्रैल 1983

क्र. 9109-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मन्दिर अधिनियम, 1982 (क्रमांक 21 सन् 1983) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज. भ. खरे, विशेष सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No 21 of 1983.

THE MADHYA PRADESH SHRI MAHAKALESHWAR MANDIR ADHINIYAM, 1982.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Act to override certain Acts.
3. Definitions.

CHAPTER II—VESTING OF PROPERTY AND CONSTITUTION OF COMMITTEE

4. Vesting of property.
5. Administration to vest in Committee.
6. Constitution of the Committee.
7. Term of office, resignation and removal of members.
of such members.
8. Filling of vacancies.
9. Meetings of the Committee.
10. Vacancy etc, not to invalidate proceedings.
11. Duties of the Committee.
12. Alienation of Mandir properties.
13. Limitation of borrowing power.
14. Administrative Report.
15. Delegation of powers.

CHAPTER III—ADMINISTRATOR AND ESTABLISHMENT

16. Appointment of Administrator.
17. Appointment of officers and employees.
18. Control and appointment of pujaris etc.

32. Save as otherwise expressly provided in this Act, no notification issued, order passed, decision made, proceedings or action taken or other things done under the provisions of this Act by the State Government or any officer of the State Government or the Committee or any member thereof or the Administrator shall be liable to be questioned in any court of law and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act. Notifications, orders etc. not to be questioned in court of law.

33. (1) When any land or building, whether within or without the limits of the Mandir, is required for the purposes of the Mandir and the Committee is unable to acquire it by agreement, the State Government may, at the request of the Committee proceed to acquire such land or building under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) and the acquisition of any land or building for Mandir shall be deemed to be a public purpose within the meaning of that Act; and on the payment by the Committee of the compensation award under the Act and of any other charges incurred by the State Government in connection with the acquisition of the land or building, the land or building, the land or building shall vest in the Mandir and be held by it subject to such terms and conditions as may be specified by the State Government. Acquisition of land.

34. (1) Any person who desires to sell flowers, "prasad", books and other literature, pictures and any other material approved by the Committee or to look after bicycles, shoes, umbrellas or other personal effects within and around the Mandir premises shall apply to the Administrator for grant of a licence or renewal thereof in such manner and within such period as may be prescribed by bye-laws. Power to grant licences.

(2) Every such application shall be accompanied by such fee as the Committee may, subject to the limits prescribed, specify in this behalf.

(3) The Administrator may grant or renew the licence or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the licence.

(4) All the licences granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.

35. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the Administrator may, for reason to be recorded in writing, suspend or cancel a licence— Power to cancel or suspend licences.

(a) if the licence has been obtained through wilful misrepresentation or fraud; or

(b) if the holder of the licence or any servant or any one acting on his behalf with his express or implied permission, commits a breach of any of the terms and conditions of the licence; or

(c) if the holder of the licence has become an insolvent;

(d) if the holder of the licence is convicted of any offence under this Act.

(2) No licence shall be suspended or cancelled under this section unless a reasonable opportunity to show cause against such suspension or cancellation has been given to the holder of the licence.

36. (1) Any person aggrieved by an order of the Administrator under sub-section (3) of section 34 or sub-section (1) of section 35 may prefer an appeal to the Committee. Appeal.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be made within thirty days from the date of such order in such manner as may be prescribed by bye-laws.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 1983.

THE MADHYA PRADESH SHRI MAHAKALESHWAR MANDIR
ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of the President on the 16th March 1983, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 4th April 1983.]

An Act to provide for the better maintenance, preservation, administration and governance of Shri Mahakaleshwar Mandir at Ujjain and its endowments and for other matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. (1) THIS Act may be called the Madhya Pradesh Shri Mahakaleshwar Mandir Adhiniyam, 1982.

and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. (1) This Act shall have effect, notwithstanding anything contained to the contrary in the Religious Endowments Act, 1863 (No. 20 of 1863), the Charitable Endowments Act, 1890 (No. 6 of 1890), the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (No. 14 of 1920), the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 (No. 30 of 1951) or in any scheme of management or in any decree, instrument, custom or usage.

Act to override certain Acts.

(2) All laws, regulations and other enactments relating to the management of the affairs of the Mandir and its endowments and all deeds executed, and all arrangements entered into, for the said purpose with a Pujari or any other person prior to the commencement of this Act, in so far as such enactments, deeds or arrangements are inconsistent with the provisions of this Act, shall cease to have any effect.

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Administrator" means the Administrator of the Mandir appointed under sub-section (1) of section 16;

(b) "appointed date" means the date appointed under sub-section (2) of section 1;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Committee;

(d) "Commissioner" means the Commissioner, Ujjain Division;

(e) "Committee" means the Shri Mahakaleshwar Mandir Managing Committee constituted under this Act;

(f) "Court" means the Court of the District Judge Ujjain;

(g) "endowment" means all property, movable or immovable, belonging to or given or endowed in any name whatsoever for the maintenance or improvement of, or additions to, or worship in, or support of the Mandir or for the performance of any service or charity connected therewith or for the benefit, convenience or comfort, of the pilgrims visiting the Mandir and includes—

(i) the idols installed in the Mandir;

(ii) the premises of the Mandir;

(iii) all gifts of property movable or immovable wherever situate and all income derived from any source, whatsoever, and standing in any name dedicated to the Mandir or places for any religious, pious or charitable purposes, under the Committee or any movable or immovable property purchased from out of the Mandir Kosh and all offerings including "chadhotry" made to and received for and on behalf of the Mandir;

(h) "licensee" means a person who is granted a licence under this Act;

(i) "Mandir" means the temple of Shri Mahakaleshwar in Ujjain, all lands comprised in survey No. 2112 of the survey of the Samvat 1984 in the City of Ujjain together with temples, buildings and other structures situate therein and all appurtenant and subordinate temples mentioned in the Schedule and any authorised additions which may be made thereto after the commencement of this Act;

(j) "Panda" means any person who is authorised to guide and assist pilgrims in offering worship or in any other matter connected therewith;

(k) "Pujari" means any person who is authorised to perform worship puja-archana, or other rituals or services connected therewith;

(l) "Sevak" means a person who is authorised to assist the "pujari" in due performance of his functions and especially in keeping the "Gruha Kaksha" of the Mahakaleshwar deity clean and well guarded.

CHAPTER II—VESTING OF PROPERTY AND CONSTITUTION OF COMMITTEE

4. Notwithstanding anything contained in any decree or order of Vesting of any court or any custom or usage or contract, sanad, instrument, deed or property. engagement to the contrary—

(i) the ownership of the Mandir and all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the Mandir in the name of any person whatsoever or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims, and

(ii) all offerings including "chadhotry"

shall vest in the deity of Shri Mahakaleshwar.

5. (1) Notwithstanding anything contained in any decree or order of any court or any custom or usage or contract, sanad, instrument, deed or engagement, the possession, administration, control and management of the Mandir and its endowments shall vest in Shri Mahakaleshwar Mandir Managing Committee. Administration to vest in Committee.

(2) Shri Mahakaleshwar Mandir Managing Committee shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue and be sued.

(3) The headquarter of the Committee shall be at Ujjain.

6. (1) The Committee shall consist of—

Constitution of the Committee.

(a) the Collector of Ujjain District or, if and so long as the Collector is not eligible for membership under sub-section (3), an Additional Collector or a Deputy Collector nominated by the Collector;

(b) two officers to be nominated by the Collector;

(c) Mayor of the Municipal Corporation, Ujjain or a Councillor nominated by him;

(d) the Principal, Sanskrit Mahavidyalaya, Ujjain;

(e) one Pujari to be nominated by the State Government;

(f) two non-officials, one of whom shall be a person having a special knowledge of Hindu religion, rites and custom relating to the form of worship practised in the Mandir, to be nominated by the State Government.

(2) The Collector or the person nominated under clause (a) of sub-section (1) shall be the Chairman of the Committee.

(3) No person who does not profess Hindu religion and does not accept the form of worship practised in the Mandir shall be eligible for membership of the Committee.

(4) The nomination of the members shall be notified in such manner as may be prescribed.

Term of office,
resignation and
removal of
members.

7. (1) A member nominated under clause (b) or clause (f) of sub-section (1) of section 6 shall hold office for a period of three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination.

(2) A member referred to in sub-section (1) may resign his office by giving notice in writing thereof to the authority nominating him and shall cease to be a member on his resignation being accepted by that authority.

(3) The State Government may, by order, remove a member referred to in sub-section (1) if—

- (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) he has applied for being adjudged as insolvent, or is an undischarged insolvent; or
- (c) he has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
- (d) he has been guilty of corruption or misconduct in the administration of the Mandir; or
- (e) he has absented himself from more than three consecutive meetings of the Committee and is unable to explain such absence to the satisfaction of the Committee; or
- (f) he, being a legal practitioner, has acted or appeared on behalf of any person against the Committee in any legal proceeding after he has been nominated as a member of the Committee; or
- (g) he ceases to profess the Hindu Religion or to believe in temple worship; or
- (h) he has committed or abetted the commission of any act in support or furtherance of the practice of untouchability.

(4) A member shall not be removed under sub-section (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal.

(5) A member who is removed under sub-section (3) may, within one month from the date of the receipt by him of the order of removal, institute a suit in the court to set aside the order.

Filling of
vacancies.

8. (1) Any vacancy in the Committee shall be filled in the same manner as provided in sub-section (1) of section 6.

(2) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be for so long only as the member whose place has been filled would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

Meetings of the
Committee.

9. (1) The Committee shall, for the transaction of its business, meet as often as may be necessary but atleast once in a period of three calendar months.

(2) The quorum for a meeting of the Committee shall be three.

(3) Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence by a member to be chosen by the members.

(4) Question arising at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in every case of equality of votes, the Chairman or the persons presiding shall have a casting vote.

(5) The Secretary of the Committee shall be responsible for the proper record and maintenance of the minutes of the proceedings duly countersigned by the Chairman or the person presiding, as the case may be, and shall submit a copy of the said minutes to the Commissioner for information.

(6) The State Government or the Commissioner may call upon the Committee to submit a report on any matter concerning the business of the Committee and management of the Mandir and its affairs.

10. No act or proceedings of the Committee shall be invalid merely by reason of,— Vacancy etc. not to invalidate proceedings.

- (a) any vacancy therein or defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the appointment of person acting as the Chairman or member thereto; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting the merit of the case.

11. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder it shall be the duty of the Committee,— Duties of the Committee.

- (1) to arrange for the proper performance of worship, "puja-archana" and the daily and periodical rites of the Mandir;
- (2) to provide facilities for the offerings of worship by devotees;
- (3) to ensure the safe custody of funds, valuables and jewelleryes and the preservation and management of the properties vested in the Mandir;
- (4) to ensure maintenance of order and discipline and proper hygienic conditions in the Mandir and proper standard of cleanliness and purity in the offerings made therein;
- (5) to ensure that the funds of the endowments of the Mandir are spent according to the wishes, so far as may be known, of the donors;
- (6) to do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management of the affairs of the Mandir and the convenience of the worshippers; and
- (7) to promote any other religious, educational, cultural or charitable activity.

12. (1) No movable property of a non-perishable nature of which the Committee is in possession and the value of which is more than one thousand rupees and no jewelleryes shall be sold, pledged or otherwise alienated without the previous approval of the Commissioner. Alienation of Mandir properties.

(2) Save as otherwise expressly provided in this Act, no immovable property taken possession of by the Committee shall be leased out for more than three years or mortgaged, sold or otherwise alienated except with the previous approval of the Commissioner.

Limitation of borrowing power.

13. The Committee shall have no power to borrow money except with the previous sanction of the Commissioner.

Administrative Report.

14. The Committee shall annually submit to the Commissioner and to the State Government a report on the administration of the affairs of the Mandir containing such particulars and at such time as the Commissioner may specify.

Delegation of powers.

15. The Committee may delegate any of its functions to its Chairman or Secretary.

CHAPTER III—ADMINISTRATOR AND ESTABLISHMENT

Appointment of Administrator.

16. (1) The State Government may appoint a person professing Hindu religion to be the Administrator of the Mandir and the Administrator shall by virtue of his office be the Secretary of the Committee:

Provided that if a full time Administrator is not considered necessary, the Government may appoint an officer not below the rank of a Tahsildar as the Administrator of the Mandir.

(2) The Administrator shall be paid out of the revenue of the Mandir such salary, allowances or honorarium as the Commissioner may determine.

(3) The Committee shall exercise its powers of administration, control and management of the Mandir through the Administrator.

Appointment of officers and employees.

17. (1) Appointment of all officers other than Administrator and other employees of the Mandir shall be made by the Committee.

(2) The procedure for appointment of officers and other employees and the terms and conditions of service shall be such as may be prescribed by bye-laws.

Control and appointment of pujaris etc.

18. (1) All "pujaris", "pandas", "sevak" and servants attached to the Mandir or in receipt of any emoluments or perquisites therefrom and all licencees shall be under the control of the Administrator.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder the Administrator may, for breach of trust, in-capacity disobedience of lawful order or neglect of, or wilful absence from, duty, disorderly behaviour or conduct derogatory to the discipline or dignity of the Mandir or for any other sufficient cause inflict any of the following punishment, namely :—

(i) removal from office ;

(ii) recovery from emoluments or perquisites of the whole or part of any pecuniary loss caused to Mandir by negligence or breach of order or disorderly behaviour or conduct ;

Provided that no punishment as aforesaid shall be inflicted unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

(3) In case a vacancy on account of a pujari, panda, sevak or any other person relinquishing his work or on account of death, removal or any other reason whatsoever, the Committee shall, subject to such rules as may be made in this behalf, appoint a Pujari, Panda, Sevak or such other persons to fill the vacancy, unless it considers that the filling of the vacancy is not necessary.

19. (1) Any person aggrieved by order passed by the Administrator may, within thirty days of the date of communication of the order under section 18 to him, prefer an appeal before the Committee. Appeal against the orders of the Administrator.

(2) The Committee shall, after giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard, pass such orders as it deems fit and the order so passed shall be final and conclusive and shall not be called in question in any court of law.

(3) No order made by the Administrator, as is referred to in sub-section section (1) or by the Committee under sub-section (2) shall debar any person aggrieved thereby from establishing his right, if any, in a Court of competent jurisdiction but no Court shall have power to stay the operation of the order or to interfere with the disposal of the proceedings before such Court or of any appeal or application arising therefrom or in relation thereto.

20. The Administrator may in cases of emergency, direct the execution of any work or the doing of any Act which is not provided for in the budget for the year and immediate execution or the doing of which is in his opinion necessary for the preservation of the properties of the Mandir and its endowments or for the service or safety of the pilgrims resorting to the Mandir or for the due performance of the rituals therein and may direct that the expenses of executing such work or doing the Act shall be paid from the Kosh of the Mandir. The Administrator shall forthwith report to the Committee the action taken under this section and the reasons therefor. Emergency powers of the Administrator.

CHAPTER IV—MANDIR KOSH, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

21. (1) There shall be constituted a fund to be called Mandir Kosh which shall be vested in and be administered by the Committee and shall consist of— Mandir Kosh.

- (a) the income derived from the movable and immovable properties of the Mandir;
- (b) any offering, gift, donation or contribution; and
- (c) all moneys received under this Act.

(2) The Kosh may be utilised for carrying out all or any of the functions and duties of the Committee enumerated in section 11:

Provided that the Kosh shall not be utilised for promotion of any religious, educational, cultural or charitable activity not connected with the Mandir save with prior approval of the Commissioner.

22. (1) The Committee shall, within three months from taking charge of its office, and thereafter atleast one month before the commencement of each financial year prepare or cause to be prepared a budget for the succeeding year and shall consider and pass the same at a meeting before the commencement of the year. Budget.

(2) A copy of the budget so passed shall be sent to the Commissioner for approval, who may approve it with such modifications as he considers necessary.

Accounts.

23. The Committee shall, within six months from the end of each financial year, make up correct accounts of the receipt and expenditure in connection with the administration of the Mandir for the preceding year.

Audit.

24. The Commissioner shall every year appoint an auditor to audit the accounts of the Mandir and its endowments, and fix his remuneration which shall be paid to such an auditor from the Mandir Kosh. The auditor shall submit his report to the Committee and send a copy thereof to the Commissioner who may give such directions thereon as he may deem fit and the Committee shall carry out such directions.

CHAPTER V—CONTROL

Power of the State Government or Commissioner to call for information and accounts, and to issue directions.

25. The State Government or the Commissioner shall have the power to call for such information and accounts as may be necessary for reasonably satisfying himself/himself that the Mandir is properly maintained, the endowments thereof are properly administered and their funds are duly appropriated to the purposes for which they were founded or exist; and the Committee shall on such requisition, furnish forthwith such information and accounts to the State Government or the Commissioner, as the case may be. The State Government or the Commissioner may issue such direction to the Committee as it/he may deem fit and the Committee shall carry them out.

Inspection.

26. (1) The State Government or the Commissioner may depute an officer to inspect any movable or immovable property, records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to the Mandir. The Committee and its employees shall be bound to afford facilities to such officer for inspection.

(2) The Commissioner may, if he considers it necessary so to do, personally make an inspection under sub-section (1).

CHAPTER VI—UNAUTHORISEDLY TAKING POSSESSION OF LAND, BUILDINGS OR OTHER PROPERTY OF MANDIR

Unauthorised possession by persons of land or building belonging to Mandir.

27. (1) Where the Administrator has reason to believe that any person has unauthorisedly taken possession of any land or building belonging to the Mandir or any sacred tank, well, spring or watercourse, or has remained in possession thereof, whether the same is situated within or outside the precincts of the Mandir, the Administrator shall report the fact together with relevant particulars to Tahsildar.

(2) On being satisfied that there has been an encroachment, the Tahsildar may cause to be served upon the encroacher a notice specifying the particulars of the encroachment and calling on him to show cause before a certain date why an order requiring him to remove the encroachment before a date specified in the notice should not be made. A copy of the notice shall also be sent to the Administrator.

(3) The notice referred to in sub-section (2) shall be served in such manner as may be prescribed.

(4) After considering the objections, if any, of the encroacher and reply, if any, of the Administrator received within the period specified in the notice referred to in sub-section (2), the Tahsildar may, by order, if he decides that there has been an encroachment, require the encroacher to remove the encroachment and deliver possession of the land or building encroached upon to the Administrator before a date specified in the order.

(5) The order of the Tahsildar shall be in writing and shall contain the grounds on which he has passed the order.

28. (1) Any person aggrieved by an order passed by the Tahsildar Appeals against under section 27 may, within thirty days from the date of the receipt orders of by him of such order, prefer an appeal in writing to the Sub-Divisional Tahsildar under Officer. section 27.

(2) On such appeal being preferred, the Sub-Divisional Officer may order stay of further proceedings in the matter pending decision on the appeal.

(3) The Sub-Divisional Officer shall call for the records of the case from the Tahsildar and after giving notice in the manner prescribed to the appellant and the Administrator and if necessary, after making such further inquiry as he thinks fit, decide the appeal.

(4) The decision of the Tahsildar shall, subject to the decision of the Sub-Divisional Officer, be final and shall be conclusive evidence of the encroachment:

Provided that nothing in this section shall prevent the encroacher from instituting a suit in the Civil Court having jurisdiction on the ground that the Mandir has no title to the land or building.

(5) Where no appeal against an order of the Tahsildar has been preferred under sub-section (1) or where an appeal has been preferred and dismissed, the Administrator may remove the encroachment and obtain possession of the land or building encroached upon. Any Police Officer whose help is required for this purpose shall be bound to render the necessary help to the Administrator.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

29. The provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. 41 of 1961) shall not apply to any property vesting in the deity of Shri Mahakaleshwar under section 4.

Provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 not to apply.

30. All moneys due to the Mandir under this Act or under any agreement which provides for recovery of any amount payable thereunder as arrears of land revenue shall, on a certificate signed by the Administrator or any person authorised by him in this behalf, be recoverable as arrears of land revenue.

Money due to the Mandir recoverable as arrears of land revenue.

31. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the Committee or any member thereof or the Administrator or any other person acting under the instructions of the Committee or authorised by it, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or byelaws made thereunder.

Protection of the action taken in good faith.

Sections :

19. Appeal against the orders of the Administrator.
20. Emergency powers of the Administrator.

CHAPTER IV—MANDIR KOSH, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

21. Mandir Kosh.
22. Budget.
23. Accounts.
24. Audit.

CHAPTER V—CONTROL

25. Power of the State Government or Commissioner to call for information and accounts and to issue directions.

CHAPTER VI—UNAUTHORISEDLY TAKING POSSESSION OF LAND, BUILDINGS OR OTHER PROPERTY.

Clauses :

27. Unauthorised possession by persons of land or building belonging to Mandir.
28. Appeals against orders of Tahsildar under section 27.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

29. Provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 not to apply.
30. Money due to the Mandir recoverable as arrears of land revenue.
31. Protection of action taken in good faith.
32. Notification, orders etc. not to be questioned in court of law.
33. Acquisition of land.
34. Power to grant licences.
35. Power to cancel or suspend licences.
36. Appeal.

CHAPTER VIII—OFFENCES

37. Offences.
38. Cognizance of offences.
39. Composition of offences.
40. Fines to be credited to Mandir Kosh.

CHAPTER IX—RULES

41. Power of the State Government to make rules.
42. Power of committee to make bye-laws.
43. Committee to be in possession of the Mandir and its properties.
44. Removal of difficulty.
45. Repeal.

THE SCHEDULE.

(3) The order passed by the Committee, shall be final and shall not be called in question in any court of law.

CHAPTER VIII—OFFENCES

37. Whoever—

Offences.

- (a) whose duty is to perform the rituals of the Mandir or "puja archana" of the deity raises any claim or dispute and fails or refuses to perform such duties, knowing or having reasons to believe that the non-performance of the said duties would cause delay in the performance of the rituals or puja archana or inconvenience or harassment to the public or any section thereof entitled to worship in the Mandir and wilfully disobeys or fails to comply with orders of the Administrator directing him to perform his duties without prejudice to the results of a proper adjudication of such claims or disputes, such persons or any other person who abets such offence;
- (b) unauthorisedly performs any rituals, "puja archana" to any deity within the premises of the Mandir; or
- (c) voluntarily causes obstruction by use of force or otherwise to any "pujari", "panda" or "sevak" in the due performance of his duties; or
- (d) wilfully does any act whereby the "bhog" or Mandir is defiled; or
- (e) unauthorisedly exhibits any "thali" or other receptacle in such manner as might reasonably induce any person to place any offering whether in cash or in kind, in such "thali" or other receptacle or solicits money in any other manner whatsoever; or
- (f) not being authorised by the Committee or the Administrator interferes with the movement of persons or with any regulatory measures therefor within the premises of the Mandir; or
- (g) forcibly enters into any place within the Mandir when such entrance is prohibited under any law or custom or under any lawful order passed by the Committee or the Administrator; or
- (h) takes inside the premises of the Mandir any article knowing that the taking of such article is prohibited under any law or custom or by any declaration made and published in the prescribed manner by the Committee with due regard to the prevailing custom, public health, morality or the religious sentiment of the public;

shall, without prejudice to any other action taken against him under any other provisions of this Act, on conviction be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

38. No Court shall take cognizance of any such offence under this Act without the previous sanction of the Administrator. Cognizance of offences.

39. (1) The Administrator may accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed an offence under this Act a sum of money not exceeding— Composition of offences.

- (a) in cases coming under clause (d) of section 37 double the

(b) in any other cases, the maximum amount of fine which may be imposed in respect of the offence,

by way of composition of the offence.

(2) On the payment of such sum of money the suspected person if in custody shall be discharged and no further proceedings shall be taken against such person.

Fines to be
credited to
Mandir Kosh.

40. All amounts realised on account of fines upon conviction for offence under this Act or as a result of composition shall be credited to the Mandir Kosh.

CHAPTER IX—RULES

Power of State
Government
to make rules.

41. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) the manner in which nomination of member of the Committee shall be notified under sub-section (4) of section 6;

(b) the manner in which notice shall be served on the encroacher under sub-section (3) of section 27;

(c) the manner in which notice shall be given under sub-section (3) of section 28;

(d) the limits within which the fee for licence may be specified under sub-section (2) of section 34;

(e) the manner in which the declaration shall be made and published under clause (h) of section 37;

(f) the form in which requisition may be made under sub-section (2) of section 43;

(g) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power of Com-
mittee to make
byelaws.

42. (1) The Committee may, with the previous approval of the Commissioner, make byelaws for the administration and governance of the Mandir and its endowments not inconsistent with this Act or rules made thereunder or any other law.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such byelaws may provide for—

(a) the division of duties among the Chairman of the Committee and the Secretary;

(b) the manner in which decision on any matter may be taken otherwise than at the meetings;

(c) the procedure and conduct of business at meetings of the Committee;

(d) the books and accounts to be kept at the office of the Committee;

(e) the custody and investment of funds of the Committee;

(f) the details to be included in or excluded from the budget of the Committee;

(g) the time and place of its meetings;

(h) the manner in which notice of its meetings shall be given;

- (i) the preservation of order and conduct of proceedings at meetings and the powers which the Chairman may exercise for the purposes of enforcing its decision;
- (j) the manner in which the proceedings of its meeting shall be recorded;
- (k) the persons by whom receipts may be granted for moneys paid to the committee;
- (l) the maintenance of order inside the "mandir" and regulating the entry and exit of persons therein or therefrom;
- (m) the manner in which worship shall be performed in the mandir during "parvas", "melas" and "utsavas";
- (n) the preparation of a list of persons fit for appointment as "pujari", "panda" and "sevak" of the Mandir after taking into consideration the educational qualifications, religious knowledge, conduct, training and experience and other matters ancillary thereto;
- (o) the procedure for appointment of officers and other employees and terms and conditions of their services under section 17;
- (p) the manner in which and the period within which application for licence may be made under sub-section (1) of section 34;
- (q) the manner in which appeal may be preferred under sub-section (1) of section 36;
- (r) any other matter for which byelaws are to be made under this Act or it may be necessary to frame byelaws for effectively implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) All byelaws after they have been confirmed by the Commissioner shall be put up on the notice board of the Mandir.

43. (1) The Committee shall be entitled to take and be in possession of all movable and immovable properties including the funds and jewellerys, records, documents and other assets belonging to the "Mandir".

(2) If in obtaining such possession, the committee or any person authorised in this behalf by the committee is resisted or obstructed by any one, it may make a requisition in the prescribed form to the Tahsildar within whose jurisdiction any such property is situated to deliver its possession to the committee and on receipt of the requisition, the Tahsildar shall hold a summary enquiry into the facts of the case and if satisfied that the resistance or obstruction was without any just cause, shall comply with the said requisition, and in exercising the power under this section the Tahsildar shall be guided by the rules made under this Act.

(3) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the committee or any person acting under its instruction or authorised by it for anything done in good faith under sub-section (2).

(4) Nothing contained in this section shall bar the institution of a suit by any person aggrieved by an order (made thereunder) from establishing his title to the said property.

(5) All public officers having custody of any record, register, report or other documents relating to the Mandir or any movable or immovable property thereof shall furnish such copies of or extracts from the same as may be required by the Administrator.

Removal of
difficulty.

44. (1) If any difficulty arises in giving effect to provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiration of one year from the appointed date.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

Repeal.

45. As from the appointed date the Madhya Bharat Shri Mahakaleshwar Temple Act, Samvat 2009 (No. 3 of 1953) shall stand repealed.

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the said Act and subject thereto anything done or any action taken shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the date on which such thing was done and action was taken.

THE SCHEDULE

[See section 3(1)].

1. Shree Onkareshwar Temple;
2. Temples of Shri Sabha Mandap—
 - (1) Chandradityeshwar Temple,
 - (2) Veerbhadra Gajanan,
 - (3) Annapurna Murti Devijee,
 - (4) Shree Ram Temple,
 - (5) Avantika Devi,
 - (6) Ghuveshwar Mahadev.
3. Shree Kotiteerth.
4. Shree Koteswar and Rameshwar.
5. Shree Mahadev Temples nearabout Kotiteerth.
6. Mahadev 84.
7. Indreshwar Temple.
8. Dharmashala of Devaswala.
9. Govindeshwar Mahadev Temple.
10. Ganpati Temple.
11. Dharamshala of Kihe Saheb.
12. Siddhi Vinayak Temple.
13. Mahadev Temple.
14. Vishnu Temple.
15. Temples in Onkareshwar Courtyard above Shri Mahakaleshwar shwar Temple :—
 - (1) Navagraha (2) Maruti Temple (3) Ganpati Temple (4) Neelkantheshwar Temple (5) Shree Rameshwar (6) Second Temple Ganpati (7) Ancient Writings on stone of Mahakaleshwar Temple (8) Trivishveshwar Mahadev (9) Ekadasharudra (10) Siddheshwar (11) Sapteshwar (12) Das Maruti (13) Sakshi Gopal (14) Third Ganpati Temple.

16. Shri Mahakaleshwar Dharmashala and its temples :—

- (1) Vitthal Temple (2) Mangaleshvar (3) Siddheshvar (4) Ganpati
(5) Narsingh (6) Ram Temple.

17. Vriddhakaleshvar Temple and its adjacent temples :—

- (1) Vriddhakaleshvar Temple (2) Saptarishi (3) Anadi Kalpeshvar
(4) 19 Maafi temples (5) Onkareshvar (6) Ganpati (7) Idos
of Kalpavriksha, Kamdhenu, etc., with Mahadev (8) Kashi
Vishvanath (9) Mahadev (10) Manmankeshvar Mahadev
(11) Mahadev Temple (12) Hanumanji Temple (13) Samadhi
of Guru Bherupuri (14) Goverdhan Temple.